न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा, आरएएस

राजस्व वाद संख्या 33 / 2022

1. भीवसिह पुत्र कुंभसिह जाति राजपूत निवासी सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. जीवराजसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. विजयसिह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

.... वादीगण ....

बनाम

1. छैलूसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. अजीतसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. अनोपसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. विरेन्द्रसिंह पुत्र छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडूबडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू।
7. श्रीमान् शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू।

.... प्रतिवादीगण ....

दावा घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :- 1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध एकतरफा
4. विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह राठौड़ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार ..... 2 पर

निर्णय

दिनांक 14-6-22

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा नम्बर 154 तादादी 0.2529 हे. भूमि वाके रोही गडू बड़ी में बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 154 तादादी 0.2529 हे. वाके रोही गडू बड़ी की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2022 को वादीगण को विक्रय कर विक्रय पत्र उपपंजीयक बीदासर के समक्ष निष्पादित करवा दिया था। उक्त विक्रय पत्र की फोटोप्रति वादीगण ने अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी को दी थी। परंतु हल्का पटवारी ने वादीगण की खरीदशुदा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की। वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि की खातेदारी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे, यदि गलत खातेदारी की आड में प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय हस्तांतरण में सफल हो गये तो वादीगण को भयंकर अपूर्तिय क्षति होगी। इसलिए वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि की सुरक्षा प्रतिवादीगण को जरिये चिर-निषेधाज्ञा से वर्जित करावे तथा वादीगण ने दिनांक 11.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खेत खसरा नम्बर 154 की सम्पूर्ण भूमि तादादी 0.2529 हेक्टर खरीदते वक्त प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हिस्से-पांति की भूमि का प्रतिफल भी अदा कर दिया था तथा वादीगण को प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से पांति की भूमि का विक्रय-पत्र निष्पादित करवाकर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था और विक्रय-पत्र दिनांक 11.02.2022 के निष्पादन के वक्त प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की सहमति थी परंतु भूलवश विक्रय-पत्र दिनांक 11.02.2022 पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की सहमति के हस्ताक्षर उपपंजीयक महोदय बीदासर के समक्ष नहीं करवाये जा सके। अब वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि विक्रय-पत्र दिनांक 11.02.2022 के आधार पर खेत खसरा नम्बर 154, तादादी 0.2529 हे. भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारीगण है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा, उपयोग, उपभोग साधिकारपूर्वक चला आ रहा है।

दावा रजिस्टर किया गया है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 के समक्ष गलत खातेदारी की आड में रहन रख दी जिस पर वादीगण ने एक प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10, धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया और उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार फरमाते हुए प्रतिवादी संख्या 7 को दावे में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया परंतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 31.05.2022 को वादीगण के साथ राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा बाद जांच तस्दीक किया गया। उभय पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा के आधार पर दावा डिग्री किये जाने का कथन किया।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श 1, विक्रय पत्र प्रदर्श 3ए व वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी भींवसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

बहस सुनी गई, दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामे के आधार पर वादीगण पक्ष व प्रतिवादीगण पक्ष दावे का निर्णय करवाना चाहते है और वादीगण द्वारा खेत खसरा न.154 तादादी 0.2529 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण से खरीदशुदा है तथा उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज करने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का हमने ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया है और राजीनामे के आधार

लगातार .... 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (जिला) चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

पर दोनों पक्षों ने दोवे को डिग्री करवाना चाहा है जिसमें दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 3ए, विक्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 154, तादादी 0.2529 हेक्टर वाके रोही सडू बड़ी की खातेदारी भूमि वादीगण द्वारा खरीदशुदा है। प्रदर्श 2 जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खेत खसरा नम्बर 154, 368, 388, 503, 504 वाके रोही सडू बड़ी की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के समक्ष रहन रखी गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खेत खसरा नम्बर 154 तादादी 0.2529 हे. भूमि को विक्रय–पत्र प्रदर्श 3ए, तस्दीक करवाने के बाद वादगत भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 के यहां गलत खातेदारी के आधार पर रहन नहीं रखना चाहिये था और न ही प्रतिवादीगण को वादगत भूमि को विक्रय करने के पश्चात् रहन रखने का कोई कानूनी अधिकार था। कानूनी दृष्टि से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के हिस्से पांति तक भूमि खेत खसरा नम्बर 368, 388, 503, 504 वाके रोही सडू बड़ी की भूमि पर लिया गया ऋण यथावत रखा जावे। वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का ऋण लेने का प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण अपने नाम से विक्रय–पत्र दिनांक 11.02.2022 के आधार पर खेत खसरा नम्बर 154, तादादी 0.2529 हेक्टर भूमि की खातेदारी के अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का दावा राजीनामा के के आधार पर डिग्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से डिग्री किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 154, तादादी 0.2529 हेक्टर वाके रोही सडू बड़ी तहसील बीदासर की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम गलत चला आ रहा है जिसे हटाया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित किया जाता है तथा खेत खसरा नंबर 154, तादादी 0.2529 हेक्टर भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा खेत खसरा नं. 368, 388, 503, 504 वाके रोही सडू बड़ी की भूमि का ऋण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हिस्से पांति तक प्रतिवादी संख्या 7 के यहाँ यथावत रखा जावे। प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिग्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें, लगान अलग से कायम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिग्री जारी हो, खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14-6-22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner